COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20 भारत बीस रुपये 20रु.
COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5 भारत पाँच रुपये 5रु.
COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5 भारत पाँच रुपये 5रु.

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी   निग - 4098 - I - 15

1. गुरूचरण पुत्र बीरसिंह सिक्ख
2. इंन्द्रपाल } पुत्रगण
3. राजपाल } गुरूचरण सिक्ख
4. बीरा
5. शकूरखॉ पुत्र रहमान खां
6. कालू खॉ
7. जाविद खॉ } पुत्रगण
8. आविद खॉ } सलीम खॉ
9. अफजल खॉ

निवासीगण ग्राम मलखेंड़ी तहसील व जिला अशोकनगर म0प्र0

---- आवेदकगण

बनाम

1. शिब्बू राव } पुत्रगण
2. विकमराव } गोपाल राव मराठा
3. वरूण पुत्र सम्पतराव मराठा निवसी ग्राम मलखेड़ी तहसील व जिला अशोकनगर म0प्र0

---- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 347/14—15/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/4098/एक/2015/ जिला-अशोकनगर

गुरूचरण विरूद्ध शिब्बूराव

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 347/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु रास्ता कायम किए जाने से संबंधित है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश पत्रिका में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है] किन्तु उन पर विचार किया गया है। उपरोक्त तर्को के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्क में वहीं तथ्य दुहराए गये जो अधीनस्थ अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं प्रस्तुत तर्क अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत रूप से अंकित किए गये है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया गया है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। 5- विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश में सारगर्भित एवं तथ्यात्मक विष्लेषण किया जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया	

प्रकरण क्रमांक निग/4098-एक/15 जिला-अशोकनगर

गुरूचरण विरूद्ध शिव्वूराव

गया है। चूंकि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 के पैरा क्रमांक 7 लगायत 8 में विस्तृत एवं तथ्यात्मक विष्लेषण अंकित किए जाने से उसे यहां इस आदेश में पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 के पैरा क्रमांक 7 लगायत 8 में की गयी तथ्यात्मक एवं विस्तृत व्याख्या इस आदेश का अंग होगी। पैरा क्रमांक 7 से 8 में की गयी व्याख्या के आधार पर पैर क्रमांक 9 में लिया गया निर्णय विधिक होने से स्थिरि रखे जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.11.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य